रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-77

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1983/पौष 27, 1904
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 1983/PAUSA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 19(अ)/सं०ई०(सी)बी०, 1977/ए०एम (255)—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :

1. इस आदेश का निर्यात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1983 कहा जाए।

2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,

(क) धारा 3 के हटा दी जाएगी।

(ख) भाग 'ख' अनुसूची 1 में क्रम सं० 70 के सामने वर्तमान उप-प्रविष्टियां (5) से (15) तक हटा दी जाएंगी और उनके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी —

"70(5) सूत, ऊन और मानव निर्मित रेशा (पटसन, रेशम और फ्लेक्स को छोड़कर) से निर्मित वस्त्र और सूती वस्त्र उत्पादों का भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वस्त्र समझौते के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों को निर्यात।

(6) सूत, ऊन और निर्मित रेशो (पटसन, रेशम और फ्लेक्स को छोड़कर) से निर्मित वस्त्रो का भारत संयुक्त राज्य वस्त्र समझौते के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात।

(7) कुछ सूती वस्त्रो और वस्त्र उत्पादो का भारत और आस्ट्रिया के बीच आपसी सहमति के ज्ञापन के अन्तर्गत आस्ट्रिया को निर्यात।

(8) हटा दिया गया है।

(9) भारत स्वीडन वस्त्र करार के अन्तर्गत स्वीडन को सूत, ऊन या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादो का निर्यात।

(10) भारत और फिनलैंड के बीच हुए सहमति ज्ञापन के अन्तर्गत फिनलैंड को सूती और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का निर्यात।

(11) हटा दिया गया है।

(12) कोटोन, लोम और अकरा(भाना) का असली मद्रासी रुमाल (आर०एम०एच०के०) का निर्यात।

(13) भारत और कनाडा के बीच हुए सहमति ज्ञापन के अन्तर्गत कनाडा को सूत, ऊन और मानव निर्मित रेशे और उनके मिश्रण के बने कुछ वस्त्र उत्पादो का निर्यात।

(14) ऐसे देशो के मामले में जिन देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते हैं, द्विपक्षीय के अन्तर्गत न आने वाले देशो को निर्यात की जाने वाली सभी किस्म की पोशाकें और सिलाई से बनाए हुए

पहनावे और ऐसी मद जो द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अधीन नहीं है।

(15) ऐसे देशों के मामले में जिन देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते हैं, द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के अन्तर्गत न आने वाले देशों को निर्यात किए जाने वाले वस्त्र और तैयार वस्तुएं और ऐसे वस्त्र और तैयार वस्तुएं जो द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अधीन नहीं है।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में, क्रम सं० 55 से 62-ख तक के सामने की वर्तमान प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्र०सं०	मद	अनुसूची-1 के भाग 'ख' के अनुसार क्र०सं०	पूर्ण की जाने वाली शर्तें/ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	2	3	4
55	भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र समझौते के अन्तर्गत सूती, ऊन और मानवनिर्मित रेशों (जिसमें पटसन, रेशम और फलैक्स शामिल नहीं हैं) से बने वस्त्रों और वस्त्र सामग्री का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों को निर्यात।	बी-70(5)	(i) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं है) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ; (ख) पोशाकों और बने हुए वस्त्र के लिए (जिसमें ऊनी बुने हुए वस्त्र शामिल नहीं है) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद; (ग) ऊनी वस्त्रों, तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए पहनावों के लिए (जिसमें ऊनी पोशाक शामिल नहीं हैं) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् सभी प्रकार के कपड़ों और तैयार कपड़ों (जिसमें ऊनी कपड़े और तैयार कपड़े भी शामिल हैं) के लिए पोतलदान बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और सभी पोशाकों और बुने हुए वस्त्र (जिसमें ऊनी पोशाक और बुने हुए वस्त्र शामिल हैं) के लिए ऐसे प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा बनाए जाएंगे । (ii) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में, निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग दर्शनों का पालन किया जाएगा और न्यूनतम मूल्य प्रक्रिया के माध्यम से उचित वसूली करने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए जाएंगे । (iii) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों से बने हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद (पोशाकों से भिन्न) और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र सामग्री (भारत मवें) मात्रिक प्रतिबन्ध के अधीन नहीं हैं। हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में, वस्त्र समिति से इस संबंध में प्रमाणन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वस्त्र वास्तव में हथकरघा द्वारा तैयार किया गया है । प्रतिबंधित मदों के समरूप सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्त्रों के निर्यात के मामले में संयोजन प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा एक 'निरीक्षण पृष्ठांकन' अपेक्षित होगा 'भारत मवें' के संबंध में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अथवा वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।
56	भारत संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र समझौते के अधीन सूत, ऊन और मानव निर्मित रेशों से बने (जिसमें पटसन, रेशम और फलैक्स शामिल नहीं है) वस्त्रों का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात।	बी-70	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) वस्त्रो और तयार वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं हैं) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद; (ख) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए (जिसमें सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्र शामिल नहीं है) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् ; (ग) ऊनी वस्त्रो तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए (लेकिन जिसमें ऊनी पोशाक शामिल नहीं हैं) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्।

1	2	3	4
			लेकिन ऊनी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए पोतपरिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के मामले में इस प्रकार का प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाएगा। (II) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषदें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगी और न्यूनतम कीमत प्रक्रिया के माध्यम से उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगी। (III) कुटीर उद्योग के हथकरघा ऐसे वस्त्रों से बने हस्तनिर्मित 'कुटीर उद्योग वस्त्र (पोशाकों से भिन्न) और कुटीर उद्योग के परम्परागत लोक हस्त-शिल्प वस्त्रों की सामग्री ("भारत मदें") मात्रिक प्रतिबन्धों के अधीन नहीं हैं। हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में वस्त्र समिति द्वारा यह प्रमाणन भी अपेक्षित होगा कि वस्त्र मूल रूप से हथकरघा द्वारा तैयार किए गए हैं। जहां तक प्रतिबंधित मदों के समकक्ष सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्त्रों के निर्यात का संबंध है इस संबंध में संयोजन प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा एक "निरीक्षण पृष्ठांकन" अपेक्षित होगा। "भारत मदों" के संबंध में विकास आयुक्त (हस्त-शिल्प) अथवा वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।
57 भारत और आस्ट्रिया के बीच सहमति ज्ञापन के अधीन कुछ सूती वस्त्रों और वस्त्र सामग्री का आस्ट्रिया को निर्यात।	बी-70(7)		(I) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे पोत परिवहन बिलों पर प्रमाणन करने पर:-- (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्; और (ख) पोशाक और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्; (II) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र ऐसे हथ-करघा वस्त्रों से बने हस्त-निर्मित सूती वस्त्र उत्पाद और परम्परागत लोक हस्त-शिल्प वस्त्र उत्पाद "(भारत मदों)" के रूप में जाने जाने वाले) मात्रिक प्रति-बंधों के अधीन नहीं हैं। सूती हथकरघा उत्पादों के लिए कम्बोनेशन प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" आवश्यक होगा। "भारत मदों के मामले में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।
58 भारतीय स्वीडन वस्त्र समझौते के अधीन सूती ऊनी मानवनिर्मित रेशे या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का स्वीडन को निर्यात।	ख-70(9)		(I) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे -- (क) तैयार (ऊनी वस्त्र/ऊनी वस्त्रों को छोड़कर) वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद। (ख) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों (सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर) के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्: और (ग) तैयार ऊनी वस्त्र और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद। लेकिन पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी तैयार वस्त्रों (तैयार ऊनी वस्त्रों सहित) के लिए

1	2	3	4
			सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा और सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों (ऊनी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों सहित) के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। (2) प्रतिबंध के अधीन हथकरघा के तैयार वस्त्रों और पोशाकों के निर्यात के लिए वस्त्र समिति से इस संबंध में प्रमाणन आवश्यक होगा कि ये वस्त्र मूल रूप से हथकरघा के हैं।
59	भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के अधीन सूती और तैयार रेशों के वस्त्र उत्पादों का फिनलैंड को निर्यात।	ख (70) (10)	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। (ख) ऊनी जुराबों के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद लेकिन पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए उत्पादों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। (2) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्रों, हस्त-निर्मित कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए ऐसे ही हथकरघा वस्त्र (ब्लाउज और कमीजों से भिन्न) और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र ("भारत मद्दे") मात्रिक प्रतिबन्धों के अधीन नहीं है। हथकरघा ब्लाउज और कमीजों के मामले में वस्त्र समिति द्वारा इस संबंध में जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी आवश्यक होगा कि वस्त्र मूल रूप से हथकरघा द्वारा तैयार किए गए हैं "भारत मद्दों" के अन्तर्गत वस्त्र उत्पादों के मामले में वस्त्र समिति या वस्त्र आयुक्त (हस्तशिल्प) से एक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
60	हटा दिया गया।		
61	भारत और कनाडा के बीच सहमति ज्ञापन के अधीन सूती, ऊनी और मानव निर्मित रेशों या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का कनाडा को निर्यात।	बी-70 (13)	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं हैं) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ; (ख) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों (जिसमें सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्र शामिल नहीं हैं), के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, और (ग) ऊनी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों (लेकिन जिनमें ऊनी पोशाक शामिल नहीं है) के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद। लेकिन पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल हैं) के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा और पोशाकों एवं सलाई से बुने हुए वस्त्रों के मामले में ऐसा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। (2) कुटीर उद्योग के हथकरघा के वस्त्र, ऐसे हथकरघा वस्त्रों से निर्मित हस्त निर्मित कपड़ा और वस्त्र उत्पाद और परम्परागत लोक प्रचलित हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद (जो भारत मदों के नाम से जाने जाते हैं) मात्रिक प्रतिबन्धों के अधीन नहीं है। सभी हथकरघा वस्त्रों, तैयार वस्त्रों और प्रतिबन्धित मदों के समस्त तैयार पोशाकों के निर्यात के मामलें में कम्बीनेशन प्रपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" आवश्यक होगा। "भारत

1	2	3	4
			मदों" के संबंध में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
62(क) द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के अन्तर्गत न आने वाले देशों को निर्यातित सभी किस्म की पोशाकों और सिलाई से बुने हुए पहनावों और जिन देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते हैं उनके मामलों में वे मदें जो द्विपक्षीय समझौतों की शर्तों के अधीन नहीं है।	ख-70(14)	निर्यात की अनुमति परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करने के बाद सभी गंतव्य स्थानों के लिए दी जाएगी।
62 (ख) द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के अन्तर्गत न आने वाले देशों को निर्यातित वस्त्रों और तैयार वस्त्रों और जिन देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते हैं उनके मामलों में वे वस्त्र और तैयार वस्त्र जो द्विपक्षीय समझौतों की शर्तों के अधीन नहीं है।	बी-70(15)	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पोतपरिवहन बिलों पर प्रमाणन करके सभी अनुज्ञेय गन्तव्य स्थानों को निर्यात अनुमेय होगा।

[सं० स० 2/53/82-ई-1]

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 17th January, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 19 (E).No. E(C)O, 1977/AM(255) :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977,

(a) Clause 3 A shall be deleted.

(b) In Part 'B' Schedule I the existing sub-entries (v) to (xv) against Sl. 70 shall be deleted and shall be substituted by the following :—

"70(v) Export to EEC Member-States of Textiles and Textile products made from cotton, wool and man-made fibres (excluding jute, silk, and flax) under the Indo-EEC Textile Agreement.

(vi) Export to U.S.A. of Textiles made from cotton, wool and man-made fibres (excluding jute, silk and flax) under the Indo-U.S. Textile Agreement.

(vii) Export to Austria of certain cotton textiles and textile products under Memorandum of Understanding between India and Austria.

(viii) Deleted

(ix) Export of certain textile products of cotton wool and man-made fibres or blends thereof to Sweden under the Indo-Swedish Textile Agreement.

(x) Export of textile products of cotton and man-made fibres to Finland under the Memorandum of Understanding between India and Finland.

(xi) deleted.

(xii) Export to Cotonou, Lome and Accra (Ghana) of Real Madras Handkerchief (RMHK).

(xiii) Export of certain textile products of cotton, wool and man-made fibres and blends thereof to Canada under the Memorandum of Understanding between India and Canada.

(xiv) Garments and knitwear of all types exported to countries not covered by bilateral Textile Agreements and items not subject to the provisions of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such agreements.

(xv) Fabrics and made-ups exported to countries not covered by bilateral Textile Agreements, and fabrics and made-ups not subject to the provisions of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such agreements."

c) In OGL 3, the existing entries against Sl. Nos. 55 to 62B shall be deleted and the following shall be substituted :—

Sl. No	Item	Sl. No. as in Part 'B' of Schedule I	Conditions to be fulfilled/documents to be produced
1	2	3	4
55	Export to EEC Member-States of Textiles and Textile products made from cotton, wool and man-made fibres (excluding jute, silk and flax) under the Indo-EEC Textile Agreement.	B.70(v)	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups (excluding woollen fabrics and made-ups). (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears (excluding woollen knitwear), (c) The Wool and Woollens Export Promotion Council for woollen fabrics, made-ups and woollen knitwear (but excluding woollen garments)

1	2	3	4
			Necessary certification on shipping bills will however, be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for all fabrics and made-ups (including woollen fabrics and made-ups), and in respect of all garments and knitwear (including woollen garments and knitwear) such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council. (ii) In the matter of allocation of export entitlement, the Export Promotion Councils will observe the guidelines issued by the Ministry of Commerce and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism. (iii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom fabrics (other than garments) and traditional folklore handicraft textile products (India items) are not subject to quantitative restraints. In the case of exports of handloom garments, certification by the Textile Committee as to the handloom origin of the goods will also be required. In the case of exports of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items, an "Inspection Endorsement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form will be required. In respect of "India Items" appropriate certified issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee will be required.
56	Export to USA of Textiles made from cotton, wool and manmade fibres (excluding jute, silk and flax) under the Indo-US Textile Agreement.	B.70(vi)	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-up (excluding woollen fabrics and made-ups); (b) The Apparels Export Promotion Council for garment and knitwear (excluding woollen knitwear); (c) The Wool and Woollens Export Promotion Council for woollen fabrics made-ups and woollen knitwear (but excluding woollen garments). Necessary certification on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for Woollen fabrics and made-ups, and in respect of woollen knitwear, such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council. (ii) In the matter of allocation of export entitlement, Export Promotion Councils will observe the guidelines issued by the Ministry of Commerce and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism. (iii) Handloom fabrics of the cottage

1	2	3	4
			industry, handmade cottage industry products made of such fabrics (other than garments) and traditional folklore handicraft textiles products of the cottage industry ('India Items') are not subject to quantitative restraints. In the case of exports of handloom garments certification by the Textile Committee as to the handloom origin of the goods will also be required. In so far as exports of all handloom fabrics/made up corresponding to restrained items are concerned an "Inspection Endorsement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form will be required. In respect of 'India Items' appropriate certificate issued by the Office of the development Commissioner (Handicrafts) of the Textile Committee will be required.
57	Export to Austria of certain cotton textiles and textile products under the Memorandum of Understanding between India and Austria.	B.70(vii)	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups; and (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears, by certification on shipping bills. (ii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade cotton textile products made of such handloom fabrics

1	2	3	4
			and traditional folklore handicraft textile products (known as "India Items") are not subject to quantitative restraints. For exports of cotton handloom products an "Inspection endorsement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form will be required. In respect of "India Items" appropriate Certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee will be required.
58	Export of certain Textile Products of cotton, wool and man-made fibre or blends thereof to Sweden under Indo-Swedish Textile Agreement.	B.70(ix)	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for made-ups (excluding woollen made-ups); (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwear (excluding woollen knitwear); and (c) The Wool and Woollens Export Promotion Council for woollen made-ups and woollen knitwear. Necessary Certificacation on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for all made-ups (including woollen made-ups) and by the Apparels Export Promotion Council for all garments and knitwear (including woollen garments and knitwear). (ii) For export of handloom made-ups and garments subject to restraint, certification as to hand-

1	2	3	4
			loom origin by the Textile Committee will also be required.
59	Export of Textile Products of cotton and man-made fibres to Finland under the Memorandum of Understanding between India and Finland.	B 70(x)	(i) Against allocation of export entitlement by (a) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwear; and (b) The Wool & Woollen Export Promotion Council for Woollen socks. Necessary certification on shipping bills will, however, be made by the Apparels Export Promotion Council for all garments or knitwear products. (ii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom fabrics (other than blouses and shirts) and traditional folklore Handicraft textile products ('India Items') are not subject to quantitative restraints. In the case of Handloom blouses and shirts the Certificate issued by the textile Committee regarding the Handloom origin of the goods will also be required. In the case of textile products falling under 'India Items' a Certificate by the Textile Committee or the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) will be required.
60	Deleted		
61	Export of certain Textile Products of Cotton, Wool and man-made Fibres and blends thereof to Canada under the Memorandum of Understanding between India and Canada.	B.70(xlii)	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups (excluding woollen fabrics and made-ups); (b) The Apparels Exports Promotion Council for garments and knitwear (excluding woollen knitwear); and (c) The Wool and Woollens Export Promotion Council for woollen fabrics and made-ups and woollen knitwear (but excluding woollen garments). Necessary certification on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textile Export Promotion Council for all fabrics and made-ups (including woollen fabrics and made-ups), and in respect of garments and knitwears such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council. (ii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade clothing and textile products made of such handloom fabric and itradition folklore handicraft textile products (known as "India Items") are not subject to quantitative restraints. In the case of export of all handloom fabrics and made-ups and garments corresponding to restrained items, "Inspection Endorsement" by the Textile Committee on Part 2 of the Combination Form will be required. In respect of "India Items" appropriate Certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) for the Textiles)Committee will be required.

1	2	3	4
62(A)	Garments and knitwear of all types exported to countries not covered by bilateral textile agreements, and items not subject to the provisions of the bilateral agreements in the case of countries with which India has such agreements.	B.70(xiv)	Export will be allowed to all permissible destinations by certification on shipping bills by the Apparels Export Promotion Council.
62(B)	Fabrics and made-ups exported to countries not covered by bilateral textile agreements, and fabrics and made-ups not subject to the provisions of the bilateral agreements in the case of countries with which India has such agreements.	B.70(xv)	Export will be allowed to all permissible destinations by certification on shipping bill by the Cotton Textiles Export Promotion Council.

[File No. 2/53/82-E.I.]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

1214 GI/83—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983